

पत्रांक-5/2029 आठ 04/2017-18-.....37 (5) /रा०.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

विषय :-

पटना-15, दिनांक-09.10.17
मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व -104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल-2,44,00,000/- (दो करोड़ चौवालीस लाख) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6.19(9)रा० दिनांक-04.10.17के आलोक में जमाबंदी पंजी का डाटा इन्ट्री कार्य 46 अंचलों में किया गया है। शेष सभी 488 अंचलों में जमाबंदी पंजी का डाटा इन्ट्री कार्य सम्पन्न कराना है। 38 जिलों में 50,000/-प्रति अंचल की दर से जमाबंदी पंजी का डाटा इन्ट्री कार्य हेतु 1301-कार्यालय व्यय मद में कुल-2,44,00,000/- (दो करोड़ चौवालीस लाख) रुपये निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है:-

क्रमांक	जिला का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)	आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	पटना	1000000	1000000
2	नालन्दा	950000	950000
3	भोजपुर	650000	650000
4	बक्सर	500000	500000
5	रोहतास	900000	900000
6	कैमूर	500000	500000
7	छपरा	950000	950000
8	सिवान	900000	900000
9	गोपालगंज	650000	650000
10	मुजफ्फरपुर	700000	700000
11	वैशाली	750000	750000
12	सीतामढ़ी	800000	800000
13	शिवहर	200000	200000
14	मोतिहारी	1300000	1300000
15	बेतिया	850000	850000
16	दरभंगा	800000	800000
17	समस्तीपुर	950000	950000
18	मधुबनी	950000	950000
19	सहरसा	450000	450000
20	सुपौल	500000	500000
21	मधेपुरा	600000	600000
22	पूर्णिया	600000	600000
23	अररिया	400000	400000
24	किशनगंज	300000	300000
25	कटिहार	750000	750000

26	गया	1150000	1150000
27	जहानाबाद	300000	300000
28	नवादा	650000	650000
29	औरंगाबाद	500000	500000
30	अरवल	200000	200000
31	मुंगेर	400000	400000
32	लखीसराय	300000	300000
33	शेखपुरा	250000	250000
34	जमुई	450000	450000
35	खगड़िया	300000	300000
36	बेगूसराय	850000	850000
37	भागलपुर	650000	650000
38	बाँका	500000	500000
	कुल	2,44,00,000	2,44,00,000

(दो करोड़ चौवालीस लाख) रुपये मात्र।

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायेगी एवं राशि का व्यय जमाबंदी पंजी डाटा इन्ट्री कार्य पर किया जायेगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड मांग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक..... 37 (S) /रा०, पटना- 15, दिनांक-..... 09-10-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक..... 37 (S) /रा०, पटना- 15, दिनांक-..... 09-10-17

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग(बजट) बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 37 (5) / रा0, पटना- 15, दिनांक- 09-10-17
 प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
 सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 37 (5) / रा0, पटना- 15, दिनांक- 09-10-17
 प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
 सरकार के अपर सचिव।